

बांध पुनःस्थापन और सुधार परियोजना के संशोधति लागत अनुमान को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति (CCEA) ने 3466 करोड़ रुपए की संशोधति लागत पर बांध पुनःस्थापन और सुधार परियोजना (DRIP) के संशोधति लागत अनुमान को अपनी मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बट्टि

- उल्लेखनीय है कि 198 बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार तथा व्यापक प्रबंधन प्रणाली के साथ संस्थागत मजबूती के लिये इस परियोजना में विश्व बैंक वित्तीय सहायता देगा।
- 3466 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 2628 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा और 747 करोड़ रुपए डीआरआईपी राज्य/क्रयान्वयन एजेंसियों और शेष 91 करोड़ रुपए केंद्रीय जल आयोग देगा।
- CCEA ने पूर्व प्रभाव से इस परियोजना के लिये 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक दो वर्षों के समय वस्तुतः की स्वीकृति भी दी है।

प्रभाव

- यह परियोजना चयनित वर्तमान बांधों की सुरक्षा और संचालन प्रदर्शन में सुधार लाएगी तथा जोखिम को कम कर नचिले इलाकों की आबादी और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- इस परियोजना से प्राथमिक रूप में जलाशय पर निर्भर शहरी और ग्रामीण समुदाय तथा नचिले इलाके के समुदाय लाभान्वित होंगे। नचिले इलाकों में रहने वाले लोग बांध के वफिल होने या संचालन वफिलता के कारण सर्वाधिक जोखिम में रहते हैं।
- संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाकर बांध सुरक्षा संगठनों को और अधिक कारगर बनाया जाएगा ताकि बांध ढाँचागत दृष्टि से मजबूत हों और कर्मचारियों तथा अधिकारियों की क्षमता सृजन के साथ संचालन की दृष्टि से भी मजबूत हों।

उद्देश्य

- घटक - I। बांध तथा इसके आस-पास के ढाँचों का पुनःस्थापन।
- घटक - II। संस्थागत मजबूती।
- घटक - III। परियोजना प्रबंधन।

- इस योजना में 198 बांध परियोजनाओं के पुनःस्थापन का प्रावधान है। ये परियोजनाएँ भारत के 7 राज्यों- केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड (दामोदर घाटी नगिम) तथा उत्तराखंड (उत्तराखंड जल वदियुत नगिम लि.) में स्थित हैं।

क्रयान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक और संशोधति लागत के साथ बांधों की संख्या इस प्रकार दी गई है:-

पृष्ठभूमि

- मूल रूप से DRIP की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी जिसमें राज्य का हिससा 1968 करोड़ रुपए और केंद्र का हिससा 132 करोड़ रुपए था।
- प्रारंभ में यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि के लिये थी। यह 18 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ हुई और इसकी समाप्ति अवधि 30 जून, 2018 थी।
- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में सैद्धांतिक रूप से परियोजना क्रयान्वयन को दो वर्षों का वस्तुतः देते हुए परियोजना समाप्ति की संशोधति तिथि को 30 जून, 2020 कर दिया गया।

